

22/12/25

राजपुत्र

पत्रावली पेय डी। वकील कलकत्ता
उपस्थित। 3/1/26 | उपस्थित। उपस्थित
होते अवकाश-वाहे हो अवकाश दिया जाय हो
उपस्थित ति. 2 की तलवी की पाले। पत्रावली
वाहे जवब। तलवी हो ति. 6.1.26 को
पेय हो।

अति. जिला कलकत्ता
शाहपुरा

06/1/26

पत्रावली

अति.

पत्रावली पेय डी। वकील कलकत्ता
उपस्थित। रेस्पोंडेंट न. 2 की बात हे
पी अति. जिला कलकत्ता, अधिवक्ता द्वारा पत्रावली
गई। पत्रावली वाहे जवब न पेय को
अति. जिला कलकत्ता के ति. 3.2.26 को
पेय हो।

अति. जिला कलकत्ता
शाहपुरा

3/2/26

पत्रावली पेय डी। उभय पक्ष उपस्थित।
P.O. साहब अवकाश में हैं। पत्रावली वाहे
जवब न पेय करने अधिकार पत्र के दिनांक
10/3/26 को पेय हो। आज्ञासे

अति.

अतिरिक्त जिला कलकत्ता
शाहपुरा

10/3/26

अति.

पत्रावली पेय डी। उभय पक्ष उपस्थित।
जवब न अ.प. हो अवकाश-वाहे हो
न्यायालय में अवकाश दिया जाय हो पत्रावली
वाहे जवब। अ.प. हो ति. 7.4.26 को पेय हो।

अति. जिला कलकत्ता
शाहपुरा

7/4/26

पत्रावली पेय डी। अपीलान्त / अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
रेस्पोंडेंट उपस्थित। न्यायालय द्वारा खिनी ही मर्तबा
अपीलान्त को आवाने लगाई जाने के उपरान्त न
न हो अपीलान्त और न ही उनके विधि उचित।
अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये।

अतः पत्रावली अन्तर्गत आदेश 03 नियम 08 CPC
खारिज की जाती हैं। पत्रावली फौजदार हुंकार
नाम्बर से कम हुंकार शाखि शफ्त हो।
निर्णय और इज्जास सुनाया गया।

अति. जिला कलकत्ता
शाहपुरा